



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

जन सूचना 04/2018

शिलांग दिनांक 29 जून, 2018

विषय: प्रतिलिपि, नकली और गैर-वास्तविक आईएमईआई के साथ मोबाइल फोन के आयात को प्रतिबंधित करने वाले डीजीएफटी अधिसूचना के कार्यान्वयन संबंधी।

संबंधित सभी सीमा शुल्क अधिकारियों सीमा शुल्क / व्यापार /दलालों और अन्य लोगों का ध्यान दिनांक 16.01.2015 की अधिसूचना सं.107 / (आरई -2013) 2009-14 को विदेश व्यापार के महानिदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उद्योग, सरकार भारत के जीएसएम मोबाइल हैंडसेट्स (एचएस) आईटीसी कोड 8517 'के तहत वर्गीकृत मोबाइल जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) , जिसमें शून्य (आईएमईआई) , प्रतिरूप(आईएमईआई), नकली (आईएमईआई) और सीडीएमए मोबाइल हैण्ड सेट (आईटीसी (एचएस) कोड '8517'द्वारा निर्धारित) ,जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नं (ईएसएन)/ मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर (एमईआई डी), जिसमें शून्य ईएसएन/एमईआई डी या नकली ईएसएन/एमईआई डी शामिल है।

2. जवाब में, एक रिट पिटीसन संख्या के लिए डब्ल्यू.पी. (सी) 5772/2014 मेसर्स माइक्रोमैक्स सूचना विज्ञान लिमिटेड द्वारा दायर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से पहले प्रतिलिपि या नकली आईएमईआई संख्याओं के साथ मोबाइल फोन के प्रवेश / आयात पर संभाव्यता के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजीएफटी ने सीमा शुल्क के साथ संकलन में एक तंत्र निकालने के लिए 16/01/15 की उपर्युक्त अधिसूचना के तहत किस प्रकार और किस तंत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीजीएफटी द्वारा जारी निर्देश मानक संचालन प्रक्रियाओं के आधार पर क्रियाशील बिंदुओं में परिवर्तित हो जाता है, जिसके लिए विभिन्न हितधारक एक समान मानक प्रारूप में पालन करते हैं, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (वर्जन 1.0) (प्रति संलग्न) डीजीएफटी अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया है जो प्रतिलिपि, नकली और गैर-वास्तविक आईएमईआई के साथ मोबाइल फोन के आयात को प्रतिबंधित करता है।

3. एसओपी में निर्धारित आईमेई / टीसी आवंटन प्राप्त करने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है-

आइएमईआई/टीसी प्राप्त करने के लिए, मोबाइल उपकरण निर्माताओं या ब्रांड मालिकों (प्रकार आवंटन धारक) को लिंक <http://imeidb.gsm.org/imei/login.jsp> का उपयोग करके जीएसएमए डेटाबेस के साथ पंजीकृत करना होगा और फिर "निर्माता पंजीकरण फॉर्म" पर क्लिक करें। पूर्ण जमा किए गए फॉर्म की प्राप्ति के बाद, यह प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग निकाय(आरबी) में आईएमईआई डेटाबेस के माध्यम से जीएसएमए द्वारा भेजा जाता है। आरबी फॉर्म के आवश्यक सत्यापन को पूरा करता है। यदि सकारात्मक हो, तो आवेदन स्वीकृत हो जाता है और निर्माता या ब्रांड मालिक को ईमेल के माध्यम से आईडी और सांकेतिक शब्द प्रदान किया जाता है। नकारात्मक समीक्षा की स्थिति में आरबी आवेदन

के अस्वीकृति के कारणों की समीक्षा करने के लिए मोबाइल उपकरण निर्माता या ब्रांड मालिक से संपर्क करेगा। जब टाइप आवंटन धारक के पास आईडी और सांकेतिक शब्द होता है, तो वे इस लिंक <http://imei.db.gs.org/imei/login.jsp> के माध्यम से imei डेटाबेस में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं और फिर "टीएसी के लिए आवेदन" पर क्लिक करते हैं और आईडी और पासवर्ड विवरण दर्ज करते हैं। जीएसएमए टीएसी / आईएमआई आवंटन प्रक्रिया के बारे में और जानकारी जीएसएमए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. भारत में आयात के लिए जीएसएमए / एमएसएई द्वारा आईएमआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया—

टाइप आवंटन धारक ऑनलाइन उपयोगकर्ता को अपने उपयोगकर्ता आईडी और सांकेतिक शब्द का उपयोग करके लॉग ऑन करना होगा और मोबाइल हैंडसेट आईएमआई लॉट के लिए आईएमआई प्रमाणपत्र के लिए विधिवत दायर आवेदन को भारतीय बाजार में आयात करने के लिए जमा करता है। इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, जीएसएमए / एमएसएआई स्वचालित प्रणाली जिसे आईएमआई क्लोनिंग और प्रतिलिपि पंजीकरण (आईसीडीआर) कहा जाता है, जो एचटीटीएस प्रोटोकॉल के साथ इंटरनेट पर काम करता है और जानकारी स्वीकार करता है और दुनिया भर में जीएसएमए रिपोर्टिंग निकायों के बारे में जानकारी को मान्य करता है और यदि सत्यापित जानकारी से यह सही साबित हुआ है, फिर यह मोबाइल बाजार में आयात किए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट के लिए आईएमआई नंबर लॉट पंजीकृत करता है। इसके बाद पंजीकृत जानकारी को अनुमोदन समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एल्गोरिथमिक टोल गेट द्वारा अतिरिक्त जांच करके आगे समीक्षा किया जाता है। अगर अनुमोदन समीक्षा सफल होती है तो आईसीडीआर स्वचालित रूप से आईएमआई प्रमाण पत्र जारी करेगा। आईसीडीआर प्रणाली एनक्रीपशन, कंट्रोल नंबर और क्यूकोड के साथ आईएमआई प्रमाण पत्र को परिशिष्ट में दिखाए गए मोबाइल हैंडसेट के बारे में अतिरिक्त महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ जारी करती है। यदि टीएसी / आईएमआई जानकारी शून्य, नकली या प्रतिरूप या गलत जानकारी या अनुप्रयोग को एल्गोरिथमिक टोल गेट पर फ़्लैग किया गया है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और संभावित उल्लंघन / सुधार के लिए संबंधित ब्रांड मालिक को सूचना के लिए जानकारी दी जाती है संदेश के साथ। इस मामले में ब्रांड मालिक को कोई आईएमआई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

5. सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातकों / सीबी के बाद की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

(i) ब्रांड हैंडसेट या मोबाइल हैंडसेट लॉट के आयातक को मोबाइल हैंडसेट आईएमआई लॉट के संबंध में अन्य प्रासंगिक आयात दस्तावेजों जैसे पैकिंग सूची चालान इत्यादि के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रवेश पत्र (प्रवेश के बिल) आईएमआई प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। भारतीय बाजार में आयात हो। सीमा शुल्क अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आईसीडीआर प्रणाली का उपयोग कर आईएमआई प्रमाण पत्र की पुष्टि करेगा ।

(a) आयात के तहत बहुत से आईएमआई संख्याएं वास्तविक हैं और उन्हें सही इकाई को आवंटित किया गया है (आवंटन धारक टाइप करें जो आईएमआई के सही मालिक हैं)

(b) आयातक विवरण टाइप आवंटन धारक द्वारा उल्लिखित हैं।

(c) आईएमआई संख्या एक ही मॉडल से संबंधित है जिसे आयात किया जा रहा है।


(d) इस निरीक्षण से पहले भारतीय सीमाओं में आईएमआई संख्या दर्ज नहीं की गई है।

(ii) सीमा शुल्क अधिकारी आयात के तहत पूरे माल के लिए 100% आधार पर आईसीडीआई प्रणाली के माध्यम से भौतिक आईएमआई प्रमाणपत्रों को बढ़ावा देगा। आयात की मात्रा पर विचार करते हुए, आईसीडीआर प्रणाली द्वारा ग्रीन चैनल अंकन की वजह से, किसी विशेष बंदरगाह पर आने वाले कुल कब्जों का 5 से 10 प्रतिशत परीक्षा के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जा सकता है। आगे, परीक्षा के लिए चुने गए प्रत्येक सामान में, मोबाइल सेट के 5 से 10 प्रतिशत (प्रति हज़ार), यादृच्छिक आधार पर, आयातक द्वारा प्रस्तुत सूची में संदर्भ 4 के साथ आईएमआई संख्या को सत्यापित करने के लिए लिया जा सकता है, उपकरण और डिवाइस की आईएमआई संख्या प्रकट करने के लिए कोड दर्ज करना। हालांकि, आईसीडीआर प्रणाली द्वारा लाल चैनल को चिह्नित करने के कारण, इस तरह के शिपमेंट के आयात को निषेध से जुड़े

अनुचित आयात के रूप में तब्दील किया जा सकता है और दंड प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है और साथ ही सीमा शुल्क कानूनों के अनुसार पूर्ण जब्त हो सकता है।

6. यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा।

7. कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अगर कोई है, तो इस कार्यालय के नोटिस में लाया जा सकता है।



संलग्न- उपर्युक्त

(बंदना देवरी)
आयुक्त

स्पीड पोस्ट

C.No. VIII(48)09/CUS/TECH/MISC. EXO-IMP/2018


11804-916(A)

date:

2 - JUL 2018

सूचना के लिए प्रेषित:

1. मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क , शिलांग क्षेत्र शिलांग
2. आयुक्त सीजीएसटी आयुक्तालय, अगरतला/आइजोल/डिमापुर/डिब्रुगढ़/गुवाहाटी/इम्फाल/ईटानगर/शिलांग
3. उप आयुक्त /सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/आइजोल/धुबरी/डिमापुर/गुवाहाटी/ इम्फाल /करीमगंज/ शिलांग अपने अधिकार क्षेत्र में सभी संबंधित लोगों के सूचना में लाने के अनुरोध के साथ और सुनिश्चित करें कि निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
4. उप सहायक आयुक्त मोरेह एलसीएस अगरतला एलसीएस और आईसीडी अमिन्गांव
5. अधीक्षक, कंप्यूटर शाखा सीमा शुल्क मुख्यालय शिलांग आयुक्त वेबसाइट पर इस सार्वजनिक सूचना की विषय वस्तु को अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल



शुभदीप चौधरी
अधीक्षक (तकनीकी)